भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1305

उत्तर देने की तारीख-11/12/2023

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा

†1305. श्री प्रिंस राज:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को भारत की पब्लिक स्कूल शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बनाने की कोई नीति है;
(ख) क्या सरकार, सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अनिवार्य रूप से पूर्व-प्राथमिक कक्षाएं शुरू करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो राज्य-वार विशेषकर बिहार में स्थिति क्या है;
(ग) सरकार द्वारा पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की अनंतिम संरचना और इसके लिए निधि के स्रोत से संबंधित अस्पष्टता को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) बिहार में विशेष रूप से समस्तीपुर और दरभंगा जिलों की स्थिति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ग): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में शिक्षा में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए 3-18 आयु को कवर करते हुए 5+3+3+4 के नए शैक्षणिक और पाठ्यचर्या संबंधी पुनर्गठन के साथ स्कूली शिक्षा की संरचना में संशोधन की सिफारिश की है। इस संरचना में, शुरुआती पांच वर्षों को मूलभूत चरण कहा जाता है जिसमें 3 वर्ष की प्रीस्कूल शिक्षा और कक्षा 1 और 2 शामिल हैं।

भारत सरकार ने समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तत्वावधान में 5 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय बोध पठन और संख्या ज्ञान दक्षता पहल-निपुण भारत' नामक राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान मिशन शुरू किया है। मिशन का लक्ष्य है कि देश का प्रत्येक बच्चा 2026 तक कक्षा 2 तक आवश्यक रूप से मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान प्राप्त कर ले।

एनईपी 2020 में परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा एक "प्रिपरेटरी कक्षा" या "बालवाटिका" (अर्थात कक्षा 1 से पहले) में चला जाएगा, जिसमें एक ईसीसीई-योग्यता प्राप्त शिक्षक होगा। प्रिपरेटरी कक्षा में अधिगम मुख्य रूप से खेल-आधारित

शिक्षा पर आधारित होगा जिसमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक और साइकोमोटर क्षमताओं और पूर्व साक्षरता और संख्याज्ञान विकसित करने पर ध्यान दिया जाएगा।

शिक्षा मंत्रालय ने 2018 में स्कूल शिक्षा के लिए ' समग्र शिक्षा' नामक एकीकृत योजना शुरू की थी। इसकी रूपरेखा मे स्कूल को पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक एक निरंतरता के रूप में स्वीकार किया गया है और एनईपी 2020 के अनुरूप इसके लिए वित्तीय मानदंड निर्धारित किए गए हैं। पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए, सभी सरकारी स्कूलों को प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) घटक के तहत वित्तीय मानदंडों के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है जो इस प्रकार हैं:

i. सरकारी प्राथमिक स्कूलों में पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं के लिए 2 लाख रुपये प्रति वर्ष तक का आवर्ती अनुदान, जिसमें जनशक्ति की तैनाती और अन्य शिक्षण अधिगम सहायता/ सामग्री शामिल है।
ii. सरकारी स्कूलों में पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रति वर्ष प्रति बच्चा 500/- रुपये तक का प्रावधान।
iii. सरकारी स्कूलों और सह-स्थित आंगनबाड़ियों में पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं के लिए बाल विशिष्टताएँ, बाल अनुकूल फर्नीचर, आउटडोर खेल सामग्री आदि के लिए प्रति स्कूल 1 लाख रुपये तक का गैर-आवर्ती अनुदान (5 साल में एक बार)

शिक्षा, भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। समग्र शिक्षा योजना के तहत, स्कूल शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ शुरू करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं/ प्राथमिकता के अनुसार तैयार की गई वार्षिक योजनाओं पर आधारित है और उनके संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) प्रस्तावों में परिलक्षित होती है। फिर इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन/आकलन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के परामर्श से योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों तथा पहले अनुमोदित कार्यक्रमों में राज्य की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के अनुसार किया जाता है।

बिहार सहित प्री-स्कूलों की कुल राज्यवार संख्या अनुलग्नक-I के रुप में संलग्न है।

(घ) यूडीआईएसई+ (2021-22) के अनुसार बिहार के समस्तीपुर और दरभंगा जिलों में पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं/ बालवाटिका वाले क्रमशः 11 और 2 स्कूल हैं।

अनुलग्नक-I

माननीय संसद सदस्य श्री प्रिंस राज द्वारा 'पूर्व-प्राथमिक शिक्षा' के संबंध में दिनांक 11.12.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1305 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	प्री प्राइमरी सेक्शन वाले सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	292
2.	आंध्र प्रदेश	3644
3.	अरुणाचल प्रदेश	682
4.	असम	25285
5.	बिहार	206
6.	चंडीगढ़	106
7.	छत्तीसगढ़	129
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	80
9.	दिल्ली	1622
10.	गोवा	65
11.	गुजरात	160
12.	हरियाणा	1676
13.	हिमाचल प्रदेश	4828
14.	जम्मू एवं कश्मीर	20676
15.	झारखंड	15986
16.	कर्नाटक	1710
17.	केरल	3386
18.	लद्दाख	735
19.	लक्षद्वीप	19
20.	मध्य प्रदेश	1506
21.	महाराष्ट्र	2686
22.	मणिपुर	1064
23.	मेघालय	4675
24.	मिजोरम	455
25.	नगालैंड	1713
26.	ओडिशा	945
27.	पुदुचेरी	298
28.	पंजाब	12909
29.	राजस्थान	2317
30.	सिक्किम	778
31.	तमिलनाडु	7469
32.	तेलंगाना	1061
33.	त्रिपुरा	121
34.	उत्तर प्रदेश	3538
35.	उत्तराखंड	11
36.	पश्चिम बंगाल	65312
	भारत	**188145**

स्रोत:यूडाइज+ 2021-22

*****